

12-5-22

आज पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता  
 कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को  
 बार-बार आवाज दिलावायी गई। किन्तु वादी एवं उनके  
 अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी  
 एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह वाद/  
 प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण  
 स्वारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर  
 जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावें।

85-8-22

आज सह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता  
 कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को  
 बार-बार आवाज दिलावायी गई। किन्तु वादी एवं उनके  
 अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी  
 एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह वाद/  
 प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण  
 स्वारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर  
 जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
 नीमराना (अलवर) राज.

